कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांकः– 3011 दिनांकः– 28/09/22

ई–निविदा सूचना

U. B. No.....DLB2223SLOB17021

जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज शाखा में नगर निगम के वाहन चलाने हेतु संविदा पर दो वर्ष के लिए वाहन चालक उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कमांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 निजी सहायक, आयुक्त दक्षिण नगर निगम जोधपुर।
2 अति. आयुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3 गैरेज प्रभारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4 लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6 सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs , www.sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
10 गार्ड फाईल।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांक:– 3011 दिनांक:– 28/9/22

ई–निविदा सूचना

जोधपुर नगर निगम, जोधपुर की ओर से निविदा शर्तो के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई–प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्न कार्य हेतु ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	थ्दनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	29/09/2022	4.00 pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	30/09/2022	11.00 Am.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	12/10/2022	3.00 Pm.
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज प्रभारी रूम न : 111 नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	12/10/2022	3.30 Pm.
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	12/10/2022	4.00 P.m.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज शाखा में नगर निगम के वाहन चलाने हेतु संविदा पर दो वर्ष के लिए वाहन चालक उपलब्ध करवाने के कार्य की निविदा।	100.00 लाख	1.00 लाख	1000/–	1000/–	दो वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है :–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी. डी./बैंकर चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	1000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
2.	धरोहर राशि	1.00 लाख	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त जोधपुर नगर निगम दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	1000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Vaild) रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, राज्य की अनुमति के बिना सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुवन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–

दिनांकः–

कार्य का नाम :– जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज शाखा में नगर निगम के वाहन चलाने हेतु संविदा पर दो वर्ष के लिए वाहन चालक उपलब्ध करवाने के कार्य की निविदा।

1. निविदा कार्यः–

1. जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज शाखा में नगर निगम के वाहन बैकहो लोडर, डम्पर, सीवर जेट मशीन, रिफयुज कॉम्पेक्टर, रिफयुज कलेक्टर, अतिक्रमण वाहन, केन, सीवेज पम्प मय डीजी सेट वाहन, ट्रैक्टर ट्रोली, ट्रेक्टर कराली, ट्रैक्टर मय काउ केचर ट्रोला, ऑटो जेट, ऑटो टिपर एवं गैरेज शाखा में स्थित अन्य वाहन गैरेज अधिकारियों के निर्देशानुसार चलाने होंगें।
2. नगर निगम गैरेज शाखा के उपरोक्त वाहनों को चलाने हेतु निविदादाता के द्वारा दो वर्ष के लिए आवश्यकता एवं मांग अनुसार नगर निगम में वाहन चालक उपलब्ध करवाने होंगें।

2. निविदा प्रस्तुत करना :–

1. निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाइन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेशित की जायेगी।
2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर दक्षिण
पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर के अंदर, गौरव पथ, जोधपुर ।
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....

....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज अपलोड किये जावेंगे :–

1. संवेदक/फर्म का राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन की स्केन प्रति।
2. निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
3. निविदादाता/फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन की स्केन प्रति।
4. निविदादाता/फर्म का राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीयन की स्केन प्रति।
5. संवेदक वितिय रुप से सक्षम होना चाहिये। गत तीन वितिय वर्षो का औसत टर्न ओवर कम से कम 25.00 लाख रूपये वार्षिक होना आवश्यक है। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरुप सी.ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो की सी.ए द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स शीट की स्केन प्रति।
6. निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्वसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नही होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार जोधपुर नगर निगम में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व जोधपुर नगर निगम कार्यालय रुम नम्बर 111 में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
7. जॉइन्ट वेंचर स्वीकार नहीं होगा तथा न ही संवेदक इस कार्य को किसी अन्य संवेदक को सबलेट कर सकेगा।
8. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।
10. संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।
11. निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोशणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :–

1. बोलीदाता के द्वारा निविदा प्रस्तुत किये जाने के समय राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अद्यतन प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक है तो बोलीदार द्वारा पंजीकरण प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदारा पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन–पत्र प्रस्तुत करते हुए बोली में भाग ले सकता है।
   सफल बोलीदार को यह शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबंधित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम, 1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुए प्रमाण–पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 11 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतू आवश्यक उल्लेखित दस्तावेजों की स्केन प्रति 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होगें। उपरोक्त दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड नहीं करने या अपलोड किये गये दस्तावेजों पर संशय होने पर निविदा समिति निविदादाता से स्पष्टीकरण हेतु दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा

स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नही करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. महत्वपूर्ण बिन्दू

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण – पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बंन्धित उपापन संख्या को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा
कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय समय पर वृद्धि होने पर उपापन संख्या द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगें, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस. आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उतरदायित्व संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।

11. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालने करने के लिए उतरदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औधोगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उतरदायित्व संवेदक का होगा।

13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

5. वाहन चालकों के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश

1. उपरोक्त कार्य पूर्ण रूप से कान्ट्रेक्ट बेसिस पर होगा। फर्म द्वारा नगर निगम के वाहनों के संचालन के लिये लगाये चालकों का समस्त उत्तरदायित्व फर्म स्वयं का होगा। किसी भी स्थिति में इन वाहन चालकों की सेवा व कार्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा। निविदादाता/वाहन चालक नगर निगम में नियमित रोजगार के लिये क्लेम नही कर सकेंगें।
2. नगर निगम गैरेज शाखा के वाहनों के संचालन हेतु निविदादाता द्वारा दो वर्ष के लिए आवश्यकतानुसार वाहन चालक उपलब्ध करवाने होंगें।
3. प्रतिदिन 8.00 घण्टे कार्य करना होगा। आवश्यकता होने पर रात्रि में भी कार्य हेतु बुलाया जा सकता है।
4. वाहन चालक अनुभवी एवं सम्बन्धित श्रेणी का वाहन चलाने का वैध ड्राईविंग लाइसेंसधारी होना चााहिये।
5. वाहनों की नियमित रूप से साफ सफाई, ऑयल – ग्रिस करने, रख रखाव का पूर्ण ज्ञान रखता हो तथा वाहन में छोटे रिपेयर कार्य एवं टायर टयूब बदलने की जानकारी रखता हो।
6. वाहन चालक को साप्ताहिक अवकाश देय होगा लेकिन आवश्यक होने पर अवकाश के दिन भी वाहन चालक को कार्य हेतु बुलाया जा सकता है जिसके लिए वाहन चालक मना नहीं कर सकेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
7. वाहनों का संचालन गैरेज/निगम द्वारा निर्देशित स्थल से किया जायेगा। वाहन की दैनिक लोगबुक रखी जायेगी तथा कार्य की समाप्ति पश्चात् वाहन उक्त स्थल पर ही रिपोर्ट करेगें। वाहन चालक वाहन को उपयोग में लेने वाले अधिकारी से प्रतिदिन लोगबुक में किये गये कार्य को प्रमाणित करवायेगा।
8. सामान्यतया वाहनों का कार्य क्षेत्र नगर निगम जोधपुर दक्षिण होगा। परन्तु विशेष परिस्थितियों में जोधपुर नगर निगम दक्षिण सीमा क्षेत्र से बाहर भी वाहनों को भेजा जा सकता है जिसके लिए वाहन चालक मना नहीं कर सकेंगें। निर्देशों की पालना नहीं होने पर रू 500/– प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली जायेगी।
9. प्रत्येक वाहन चालक खाकी वर्दी धारण करेगा। संवेदक समस्त वाहन चालकों को अपने स्तर पर वर्दी उपलब्ध करवायेगा।
10. नगर निगम गैरेज जोधपुर में लगाये जाने वाले समस्त वाहन चालकों के वेतन, बीमा, सुरक्षा इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी।
11. ड्युटी पर तैनात कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा।
12. वाहनों के लिए ईधन (डिजल/ऑयल) एवं मरम्मत का कार्य नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

13. यदि वाहन चालक किसी कारण डियूटी पर नहीं आ सके तो संस्था को अन्य वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा। अगर संस्था या संवेदक वाहन चालक अनुबंध अनुसार उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे रूपये 500/- प्रति वाहन चालक प्रतिदिन की शास्ती राशि काटी जायेगी तथा नगर निगम बाजार से वाहन चालक लेने हेतु स्वतंत्र है। इस स्थिति में अन्तर राशि संवेदक से वसूल की जायेगी।

14. अनुबन्ध पर कार्यरत वाहन चालक के वेतन का भुगतान संवेदक द्वारा किया जायेगा।

15. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। नगर निगम जोधपुर केवल वाहन का बीमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये निविदादाता/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।

16. संवेदक द्वारा उपलब्ध वाहन चालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार वाहन चालक को बदलना होगा।

17. संवेदक मात्र चालक उपलब्ध करायेगा। चालकों का उपयोग नगर निगम अपनी आवश्यकतानुसार/सुविधानुसार करेगा।

18. चालक वाहनों के संचालन हेतु दक्ष एवं प्रशिक्षित तथा उपयुक्त श्रेणी का वैध लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। किसी भी तरह की शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।

19. निविदादाता को वाहन चालक आदि का उपयुक्त बीमा कराना होगा एवं श्रम नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिये निगम उत्तरदायी नहीं होगा। कार्य के दौरान वाहन की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/वाहन चालक की होगी।

20. संवेदक द्वारा लगाये गये सभी वाहन चालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा तथा रू 500/- प्रति वाहन चालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काट ली जायेगी। वाहन चालक के विरूद्व मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए एवं आमजन व निगम कर्मचारियों के साथ शालीनता से व्यवहार करें।

21. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उतरदायित्व (वितीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उतरदायी नहीं होगा।

22. कार्यरत वाहन चालकों का विवरण पहचान पते सहित नगर निगम को देना होगा।

23. वाहन चालकों द्वारा वार्डो में पूर्ण समय कार्य नहीं करने या मुख्य सफाई निरीक्षक/सफाई निरीक्षक/उक्त कार्य के निरीक्षण में लगे अन्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य नही करने अथवा वार्डो में कार्य के प्रति लापरवाही की शिकायत प्राप्त होने पर उस दिन का भुगतान देय नहीं होगा तथा 100/- रूपये प्रति वाहन चालक प्रति घटना की शास्ती काट ली जावेगी।

24. संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 20 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 20 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर शास्ती काटी जावेगी।

25. त्यौहार/उत्सव, विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर एवं विशेष परिस्थितियों में 8 घण्टों से अधिक भी कार्य करवाया जा सकता है। अधिसमय (overtime) कार्य का भुगतान श्रम विभाग की अधिसुचना अनुसार किया जायेगा।

26. वाहन चालक को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. एवं अन्य भते निगम की ओर से देय नहीं होगें।

27. सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन चालक का लाइसेन्स, पता गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

28. वाहन चालको का विवरण

निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क.स.	वाहन चालक का नाम व पता	ड्राइविंग लाइसेन्स नम्बर	लाइसेन्स की वैद्यता
1			
2			
3			

29. माँगें जाने पर तकनिकी बिड दस्तावेजों की मुल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
30. दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन के किसी भी तरह की हुई टूट फूट के लिये वाहन चालक स्वयं उत्तरदायी होगा। Like wise सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
31. निगम के कार्य समय में निजी कार्य करने एवं वाहनों का दुरूपयोग होने पर उक्त दिवस का वाहन चालक का किराया देय नहीं होगा तथा रूपये 1000/– प्रति वाहन प्रति घटना शास्ती संवेदक के बिल में से काटी जायेगी।

6. निविदा की सामान्य शर्ते :–

1 **निविदादाता द्धारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति जोधपुर नगर निगम कार्यालय रुम नम्बर 111 में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**

2 निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।

3 निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उतरदायी नहीं है।

4 निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें। यदि निविदादाता कार्य–स्थल का निरीक्षण नहीं करता है तो यह माना जावेगा कि वह कार्य की प्रकृति, कार्य–स्थल एवं उससे सम्बन्धित की पूर्ण जानकारी रखता है।

5 निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य स्थल, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी। निविदादाता को वितीय प्रस्ताव में दरें INR में ही प्रस्तुत करनी होगी।

6 सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

7 निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।

8 निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तो पर संशय होने पर निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण कमरा न. 111 में कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

9 नगर निगम एवं निविदादाता के मध्य निविदा एवं निविदा से सम्बन्धित समस्त दस्तावेज हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगें। हिन्दी/अंग्रेजी के अतिरिक्त निविदा में दस्तावेज अन्य भाषा में होने पर इन दस्तावेजों का पूर्ण शुद्व रूपान्तरण हिन्दी/अग्रेजी भाषा में करके अपलोड करने होंगें।

10 संविदा की अवधि दो वर्ष की होगी।

11 कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य विशेष परिस्थितियॉ होने पर किसी भी समय

निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

12 नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।

13 नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :—

(क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करने हेतु।

(ख) निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत के बराबर राशि प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक /शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।

(ग) नगर निगम बेक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।

(घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।

(ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

14 सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 2.5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि निगम कोष में जमा करवानी होगी।

15 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो जोधपुर नगर निगम इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

16 कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तो की पालना करते हुए उक्त कार्य हेतु आवश्यकतानुसार वाहन चालक गैरेज प्रभारी को डेमो करवाते हुए लगाने होंगें।

17 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम के कक्ष 111 से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।

18 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें ।

19 **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**:— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अशंतः समपहरण किया जा सकेगा ।

(क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।

(ग) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

(घ) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(ड) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

20 निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी

(i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तो में किसी तरह का संशोधन करता है।

(ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नही करता है।

(iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।

(iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तो का उल्लंघन करता है।

21 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि–

(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।

(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।

(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

22 समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज / शुद्विपत्र / संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

23 नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

24 निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

25 सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षो की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

26 निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तो अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

27 निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 तथा GF&AR की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।

28 आवश्कता होने पर वाहन चालकों की संख्या बढाई जा सकती है तथा बिना कारण बताये वाहन चालकों की संख्या में कमी करने का अधिकार नगर निगम जोधपुर दक्षिण को रहेगा।

29 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक / फर्म जिम्मेदार होगा।

30 किसी भी विवाद में प्रशासक / आयुक्त / महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

7 **निविदा प्रपत्र में संशोधन** :–

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा ।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है। अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर ऑनलाइन **BOQ** में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता
नाम मय मोहर

(परिशिष्ट 'अ')

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांक :– दिनांकः–

वितीय बिड

कार्य का नाम :– जोधपुर नगर निगम दक्षिण गैरेज शाखा में नगर निगम के वाहन चलाने हेतु संविदा पर दो वर्ष के लिए वाहन चालक उपलब्ध करवाने के कार्य की निविदा।

क सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति वाहन चालक प्रतिमाह (रूपये में)
1	नगर निगम जोधपुर गैरेज शाखा में नगर निगम Heavy के वाहन चलाने हेतु वाहन चालक उपलब्ध करवाने का कार्य। (Excavator loader, Front end loader etc.) and Heavy and medium vehicles (dumpers, refuse compactors, jetting cum suction machines	
(a)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रूपये में) प्रति वाहन चालक प्रतिमाह	
2	नगर निगम जोधपुर गैरेज शाखा में नगर निगम के Light And Medium वाहन चलाने हेतु वाहन चालक उपलब्ध करवाने का कार्य। Heavy and medium vehicles (refuse collector, Jeep, Auto Tipper, Auto Jet, डोग केचर, अतिकमण वाहन, ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य Light And Medium संसाधन)	
(a)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (रूपये में) प्रति वाहन चालक प्रतिमाह	
	कुल राशि = (a+b)	

1. उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी।
2. संवेदक द्वारा श्रमिको को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
3. न्यूनतम दरदाता का निर्धारण उपरोक्त सारणी में प्रस्तुत की गई सभी दरों के योग में जो न्यूनतम होगा, उसके आधार पर किया जायेगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
मय सील

परिशिष्ट – 'ब'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

–:: <u>अण्डर–टेकिंग</u> ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि निर्धारित संख्या के अतिरिक्त वाहन चालकों की आवश्यकता होने पर नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय के निर्देशानुसार संख्या में अतिरिक्त वाहन चालक उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कही पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

निविदादाता का नाग व
हस्ताक्षर गय सील

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022
Pausa 22, Wednesday, Saka 1943- January 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-

(i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and

(ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

1936
Government Central Press, Jaipur.

क्रमांक : एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी–एसपीएफसी/2017 जयपुर, दिनांक : 23·12·2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त/जीएण्डटी – एसपीएफसी/2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/– रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;

(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;

(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;

(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and

(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;

(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;

(iii) thirty days after the expiration of our Bid.

(iv) the cancellation of the procurement process; or

(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :--

Name :--

In the capacity of :----------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation Jodhpur South for procurement of -- in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceeding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date: Signature of Bidder

Place: Name:

Designation:

Address: